P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन की बाधाएं : चुरु ब्लॉक के सन्दर्भ में

चरण सिंह
शोध पर्यवेक्षक,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान

बबीता जैन
सह आचार्य,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
राजकीय महारानी सुदर्शन कॉलेज,
बीकानेर, राजस्थान

सारांश

शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया हैं । जो राजस्थान के विभिन्न विषम परिस्थिति वाले जिलों में काफी कारगर रहा है। इसके विभिन्न प्रावधानों में 6–14 वर्ष तक के बालक अर्थात छात्र–छात्रा को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम में 38 धाराएं हैं तथा क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ। इस अधिनियम के कारण छात्र अपने आस–पास के किसी भी विद्यालय में कक्षा प्रथम में दाखिला ले सकता है तथा धारा 12 के अर्न्तगत प्राइवेट स्कूल कमजोर या पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम एक चौथाई स्थान बच्चों के लिए आरक्षित रखेगा व राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि अधिनियम की मूल भावना बहुत अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं भी उभरकर आई हैं।

मुख्य शब्द : अधिनियम, सार्वजनीकरण, असुविधाग्रस्त समूह , संरक्षण, राष्ट्रीय, मॉनीटरिंग।

प्रस्तावना

राजस्थान में शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजनाएं मुख्यतः 1986 से चल रही है। उन योजनाओं के प्रयासों से ही हमारे राज्य में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय संविधान की यह भावना कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा की पालना में ही भारत में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू हो गया है। [1]

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 में कुल 38 धाराएं हैं। धारा 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम' निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' है। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर के सिवाय पूर्ण भारत में होगा।

पात्रता की शर्तें

धारा–2 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु तक का कोई भी लडका या लडकी, असुविधाग्रस्त समूह का बालक– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रुप से और शैक्षणिक रुप से पिछडे वर्ग के बालक या एक समुचित सरकार द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग के आधार पर घोषित असुविधाग्रस्त समूह के बालक। प्रारम्भिक शिक्षा अर्थात् पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग–बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण के लिए बनाए गए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित आयोग होगा।

धारा 3 के अनुसार– निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1996 की धारा 2 के खण्ड (1) में परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त या पीड़ित किसी बालक या बालिका को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्धों के अनुसरण या आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

धारा 4 में कभी स्कूल से ना जुडे या स्कूल बीच में छोड चुके बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा मे प्रवेश मिलेगा। यानि अगर कोई बालक या बालिका 8 वर्ष की है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा । 9 वर्ष की आयु है तो

कक्षा 4 में और इसी प्रकार आगे। जहां किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है तो उसे उस कक्षा के अन्य बालकों के समान स्तर पर लाना आवश्यक है। इसके लिए उसे किसी तय प्रक्रिया के द्वारा विशेष प्रशिक्षण या सहायता देकर तय समय सीमा में कक्षा के अन्य बालकों के बराबर लाया जायेगा। धारा 5 में जहां किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी बालक को किसी अन्य विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांन्तरण कराने का अधिकार होगा। इसी प्रकार धारा 8 में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य सरकार आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति और प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करेगी और मॉनीटरिंग करेगी। धारा 9 में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए समय पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तय करना सुनिश्चित करेगी यानि यह तय करेगी कि शिक्षा में क्या पढ़ाया जाना है, क्यों पढ़ाया जाना है? कैसे पढ़ाया जाना है और उसका मूल्यांकन कैसे होगा। राज्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। माइग्रेशन पर जाने या आने वाले परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करेगा।

धारा 10 में प्रत्येक बच्चे के माता–पिता या संरक्षक या अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित स्कूल जावें। धारा 11 में 3 वर्ष से उपर और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा और बालकों की देख–रेख के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगा ।

धारा 12 में प्राइवेट स्कूलों को कमजोर या पिछडे वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश देने के बदले सरकार द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बालक व्यय की जा रही राशि से अधिक नहीं होगी । परन्तु यदि प्राइवेट स्कूल ने सरकार से रियायती दर पर या निःशुल्क जमीन, भवन या सामग्री ले रखी है और किसी संस्था विशेष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है वे स्कूल इस कानून के तहत प्रवेश देने वाले बच्चों के एवज में राज्य सरकार से शुल्क पुनर्भरण के हकदार नहीं होंगे।

धारा 13(1) में कोई भी स्कूल या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय किसी प्रकार की फीस या पैसा नहीं लेगा और बच्चों को प्रवेश देने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। कोई स्कूल या व्यक्ति इस उपखण्ड (1) का उल्लंघन करता है तो–प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो उस पर प्रवेश शुल्क से दस गुणा राशि तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई प्रवेश परीक्षा ली जाती है तो पहली बार 25,000 रूपए जुर्माना और आगे भी परीक्षा ली जाती है तो हर बार 50,000 रूपए जुर्माना किया जाएगा ।

धारा 14 में प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के नियमों के अनुसार या सरकार द्वारा तय किए गए किसी दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। किसी बालक को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ना होने के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा।

धारा 16 मे किसी बालक को किसी कारण फेल नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि बच्चें नियमित रूप से स्कूल आते हैं तो उनका सीखना तो होगा ही। इसलिए उसे कम अकों के आधार पर फेल नहीं किया जाये । धारा 18 में कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र लिए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता समाप्त किए जाने के बाद भी स्कूल चलाता है तो उसे एक लाख रूपए का जुर्माना अदा करना होगा। इसके बाद जितने दिन स्कूल चलता है उतने दिन प्रत्येक दिन के हिसाब से 10,000 रूपए जुर्माना देय होगा। धारा 21 में कमजोर या पिछड़ा वर्ग के बच्चों के माता–पिता या संरक्षकों की भागीदारी उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। धारा 23 में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता की शर्तें शामिल हैं। [3]

धारा 26 में सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। धारा 27 में किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधानमण्डलों, विधानसभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जाएगा। धारा 28 में कोई शिक्षक / शिक्षिका प्राइवेट टयूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी। धारा 29 में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा लिखित सूचना द्वारा तय किए जाने वाले शैक्षिक अधिकारी या संस्था के निर्देशन में तैयार होगा। सरकार द्वारा तय शैक्षिक अधिकारी या संस्था पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेंगें कि–

1. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में दिए गए मूल्यों के अनुरूप हों।
2. बालक का सर्वांगीण विकास करें।
3. बालक में ज्ञान का, अन्तःशक्ति और योग्यता का निर्माण हो।
4. बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता के विकास का अधिकतम अवसर हों ।
5. शिक्षा का माध्यम जहां तक हो सके बच्चों की मातृभाषा के अनुरूप हों।

धारा 30 में प्रारम्भिक शिक्षा यानि कक्षा 8 पूरी करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो कि सरकार द्वारा तय किया जाएगा। [4]

धारा 38 में राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए नियम एक अधिसूचना जारी कर बना सकेगी।

विद्यालय के लिए मान और मानक

60 तक दो शिक्षक, 61से 90 तक तीन शिक्षक, 120 तक 4 शिक्षक, 200 बालकों के लिए अनुपात 40 से ज्यादा नहीं होगा प्राथमिक विद्यालय में। उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक विज्ञान और गणित विषय, सामाजिक अध्ययन व एक भाषा शिक्षक। 1 से 5 तक कम से कम 200 कार्य दिवस, 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस, 1 से 5 तक 800 शिक्षण घंटे, 6 से 8 तक 1000 शिक्षण घंटे अनिवार्य।

शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घंटे जिसमें तैयारी के घण्टे भी शामिल हैं। प्रत्येक विधालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकांए और सभी विषयों पर पुस्तकें जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होगीं।[5]

अध्ययन के उद्देश्य

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का परिचय देना ।
2. शिक्षा के वर्तमान स्वरुप का विवेचन करना ।
3. शिक्षा क्षेत्र में हुए शैक्षणिक बदलावों को क्रमिक रुप से जानने का प्रयास करना ।
4. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के प्रति लोगों की सोच में हुए बदलावों का विश्लेषण करना।
5. वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों का विवेचन करना।
6. चुरू जिले की भौगोलिक व शैक्षणिक स्थिति का परिचय देना।
7. आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की मुख्य धाराओं का विश्लेषण करना।
8. वर्तमान शैक्षणिक स्थिति में व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने हेतु नवीन दृष्टिकोण के विकास में सहयोग करना।
9. सर्वेक्षण में 6 प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया जिसका विश्लेषण करना।

चूरू की पृष्ठभूमि में

चूरू जिला राजस्थान के विशाल थार मरूस्थल का ही भाग है। यह जिला 17834 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला है। 27'24 से 29' उत्तरी अक्षांश तथा 73'44 से 75'41 पूर्वी देशान्तर के मध्य राजस्थान के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। समुद्रतल से ऊँचाई 286'207 मीटर है। जिले की जलवायु शुष्क तथा विषम है। गर्मी में भीषण गर्मी तो सर्दी में कड़ाके की ठण्ड। गर्मी में तापमान 48'सेण्टीग्रेड सें उपर चला जाता है वहीं सर्दियों में पारा जमाव बिन्दु से नीचे भी आ जाता है। मई और जून माह में धूल भरी आंधियाँ और लू चलती है। वर्षा का औसत जिले में 33 सेमी. है।

शिक्षा के क्षेत्र में जिले की स्थिति का विवरण

डाइस डाटा 2014–15 के अनुसार कुल ब्लॉक 6, जिले में कार्यरत कुल अध्यापक 14442 , कुल विद्यालय 2657 तथा नामांकित विद्यार्थी 3,81,022 ऑकडों में दृष्टव्य है। सरकारी विद्यालयों में कुल 6,888 अध्यापक हैं जिनमें से 826 शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 6,062 अध्यापक कार्यरत थे। शहरी क्षेत्र में सरकारी विद्यालय 186 थे। ग्रामीण क्षेत्र में 1395 विद्यालय थे। जिसमें उच्च प्राथमिक शहरी विद्यालय 73 तथा प्राथमिक शहरी विद्यालय 67, ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय 426 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 541 थे। जबकि शहरी क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक 318, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 731 व ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक 1969 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1897 शिक्षक कार्यरत थे। जो कि क्षेत्रीय विषमता को दर्शाता हैं।

शोधकर्ता द्वारा किए गए शोध सर्वे के अनुसार निम्न डाटा प्राप्त हुए हैं :–

सर्वेक्षण में 6 प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया जिसका विश्लेषण निम्न प्रकार है–

शिक्षकों हेतु प्रश्नावली में

1. कक्षोन्नति नियम उचित है या नहीं प्रश्न पर सहमत 36.17 प्रतिशत, असहमत 63.83 प्रतिशत रहे।
2. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है प्रश्न पर सहमति का प्रतिशत 96.81 रहा है जबकि असहमति मात्र 3.19 प्रतिशत रही।
3. सीसीई कार्यक्रम शिक्षकों हेतु चुनौतीपूर्ण है – सहमत प्रतिशत 51.06, असहमत प्रतिशत 39.36 प्रतिशत, लागू नहीं 9.58 प्रतिशत ।

विद्यार्थियों हेतु प्रश्नावली

1. आर. टी. ई. अधिनियम की जानकारी– हाँ 44.12 प्रतिशत, नहीं 55.88 प्रतिशत।
2. गृहकार्य की जॉच कब की जाती है :– प्रतिदिन 63. 73 प्रतिशत, साप्ताहिक 36.27 प्रतिशत।

अभिभावकों हेतु प्रश्नावली

1. आर. टी. ई. अधिनियम की जानकारी– हाँ 54.17 प्रतिशत, नहीं 45.83 प्रतिशत ।
2. कक्षोन्नति नियम से सहमत– 16.67 प्रतिशत, असहमत 83.33 प्रतिशत।

शिक्षाधिकारियों हेतु प्रश्नावली

1. आर. टी. ई. अधिनियम की जानकारी– हाँ 100 प्रतिशत।
2. छात्र शिक्षक अनुपात से पदस्थापन– हाँ 33.33 प्रतिशत, नहीं 66.67 प्रतिशत।

संस्थाप्रधानों हेतु प्रश्नावली

1. आर. टी. ई. अधिनियम की जानकारी– हाँ 87.50 प्रतिशत, नहीं 12.50 प्रतिशत।
2. विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष की स्थिति– हाँ 75 प्रतिशत, नहीं 25 प्रतिशत।
3. सी. सी. ई. कार्यक्रम लाभदायक है या नहीं– हाँ 68. 75 प्रतिशत, नहीं 31.25 प्रतिशत।

जनप्रतिनिधियों हेतु प्रश्नावली

1. आर. टी. ई. अधिनियम की जानकारी– हाँ 71.43 प्रतिशत, नहीं 28.57 प्रतिशत।
2. विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ है या नहीं– हाँ 85.71 प्रतिशत, नहीं 14.29 प्रतिशत।

बाधाएँ

1. कक्षोन्नति नियम से ज्यादातर अभिभावक एंव शिक्षक सहमत नही है।
2. शिक्षकों को अब भी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है।

3. शिक्षकों का पदस्थापन छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार नहीं किया जाता है।
4. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक अनुपात में गहन अन्तर होना।
5. अधिकांश शिक्षक शहरी क्षेत्र में नियुक्ति चाहते है जो कि आकड़ों से स्पष्ट दृष्टव्य है।
   अधिनियम में आदर्श स्थितियाँ दी गई है।
6. निजी विद्यालय भी इस अधिनियम के नियमों की पूर्ण पालना नियमानुसार नहीं करें तो कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं है।
7. कानून जटिल एंव पेचीदा है जिसे सामान्य नागरिक के द्वारा समझ पाना मुश्किल है।

निष्कर्ष

निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत शिक्षा के स्तर में सुधार के काफी प्रयास किए गए। राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं।निःशुल्क पाठय पुस्तकें विज्ञान और गणित किट विद्यालयों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान मद से की जा रही है। शिक्षक विद्यालय की समस्त गतिविधियों में पारंगत होने के साथ शिक्षण भी भली प्रकार से करा सकें इस हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिसमें एक प्रशिक्षण तो गतिविधियों के संचालन के सन्दर्भ का है। राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सी. सी. ई. लागू किया गया है जिसमें बच्चे का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

सर्व शिक्षा अभियान कार्ययोजना 2015–16 पृष्ट सं. 02

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम दिग्दर्शन सर्व शिक्षा अभियान चूरू।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यूनिसेफ द्वारा प्रसारित।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिग्दर्शन सर्व शिक्षा अभियान चूरू।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यूनिसेफ द्वारा प्रसारित।

चूरू जिला दर्शन, जिला परिषद, चूरू।

डाईस बुकलेट 2014–15, राजस्थान सरकार।